उत्तर प्रदेश शासन
पर्यटन अनुभाग
संख्याः-382/2022/1638/41-2022-80 यू0ओ0/2017
लखनऊः: दिनाँकः 23 जून, 2022

कार्यालय-ज्ञाप

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, उ0 प्र0 शासन के शासनादेश सं0-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26.08.2014 एवं शासनादेश सं0-19/2015/बी-2-2973/दस-2015-10/77, दिनांक 19.10.2015 में निहित व्यवस्था के तहत धनराशि रू0 5.00 करोड़ तक की परियोजनाओं/योजनाओं के आगणनों के मूल्यांकन (अप्रेजल) एवं उसके औचित्य का परीक्षण किये जाने हेतु पर्यटन विभाग के अधीन पर्यटन अनुभाग, उ0 प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप सं0-4851/41-2021-80 यू0ओ0/2017, दिनांक 29 दिसम्बर, 2021 द्वारा गठित विभागीय अप्रेजल समिति को एतद्द्वारा अवक्रमित किया जाता है।

2- उल्लेखनीय है कि पर्यटन अनुभाग, उ0 प्र0 शासन के शासनादेश सं0-265/2022/आई/158943/41-1099/19/2021-22(सा0)/2021, दिनांक 25.04.2022 द्वारा उ0 प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 को पर्यटन विभाग के अधीन अधिकतम रू0 10.00 करोड़ की सीमा तक पर्यटन विकास कार्यों को कराये जाने हेतु अधिकृत किया गया है।

3- उक्त के क्रम में वित्त विभाग के सन्दर्भगत शासनादेश दिनांक 26.08.2014 एवं शासनादेश दिनांक 19.10.2015 के आलोक में निम्नवत् विभागीय अप्रेजल समिति का गठन किया जाता है :-

1.	विशेष सचिव, पर्यटन, उशासन 0प्र0	संयोजक
2.	संयुक्त निदेशक, पर्यटन (मुख्यालय)	सदस्य
3.	उप निदेशक, पर्यटन (मुख्यालय)	सदस्य
4.	महा प्रबन्धक (तकनीकी सेल(, उ0 प्र पर्यटन विकास राज्य 0 0निगम लि	सदस्य (तकनीकी)
5.	वित्त नियन्त्रक, कार्यालय पर्यटन निदेशालय, उ0प्र0	सदस्य
6.	नामित निर्माण एजेन्सी के अधीक्षण अभियन्ता	आमन्त्री सदस्य

4- प्रस्तावित निर्माण कार्य हेतु नामित/चयनित कार्यदायी संस्थाओं द्वारा वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 26.08.2014 एवं शासनादेश दिनांक 19.10.2015 में दिये गये मार्गदर्शी बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत आगणनों की चेकलिस्ट तैयार कर पर्यटन निदेशालय के सक्षम अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी, जिसे पर्यटन निदेशालय द्वारा प्रारम्भिक परीक्षण करते हुए निर्माण कार्यों से सम्बन्धित समस्त आगणनों एवं क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी द्वारा उपलब्ध

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

करायी गयी सूचना/विवरण समिति की निर्धारित होने वाली बैठकों में परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महानिदेशक, पर्यटन, उ0 प्र0, लखनऊ।
2. विशेष सचिव, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
4. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, उ0 प्र0, लखनऊ।
6. निदेशक, प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, राज्य नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, उ0 प्र0, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनुभाग-7, उ0 प्र0 शासन।
9. वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-2, उ0 प्र0 शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।